BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926
Vol. XXXXVI | 29th July, 2015 | No. 13

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम के निधन पर चैम्बर में शोक सभा आयोजित

पूर्व राष्ट्रपति स्व० डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजली अर्पित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दिनांक 28 जुलाई 2015 को एक शोक सभा का आयोजन किया जिसमें काफी संख्या में राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायियों ने भाग लेकर डॉ० कलाम के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि देश ने एक असली देश रत्न को खो दिया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि तामिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉ० अब्दुल कलाम भारत के जाने-माने मिसाइल वैज्ञानिक थे और वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को इस बात का गर्व है कि डॉ० कलाम चैम्बर में तीन बार पधारे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला आगमन चैम्बर के प्लैटीनम जुबली के समापन समारोह के अवसर पर दिनांक 31 मई 2003 को हुआ एवं दूसरा 28 मार्च 2006 को तथा पूर्व राष्ट्रपति के रूप में 3 मई 2011 को हुआ।

श्री साह ने कहा कि 31 मई 2003 को अपने उद्‌बोधन में डॉ० कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि चैम्बर की यह जिम्मेवारी है कि वह लोगों में विश्वास पैदा करे और उद्यमियों को संदेश दे कि राज्य का भविष्य उज्जवल है। डॉ० कलाम ने कहा था कि उन्होंने स्वयं बिहार के विकास के लिए जो रूपरेखा खींची है, उनमें-कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य व जल प्रबंधन, संरचनात्मक विकास, पर्यटन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और ई-गवर्नेंस के समुचित विकास का आधार है, इसी से बिहार एक विकसित राज्य बन सकता है। उन्होंने कहा था कि कई प्रदेशों में पानी नहीं मिलता परन्तु बिहार किस्मत वाला राज्य है जहाँ प्रचूर मात्रा में पानी उपलब्ध है।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि डॉ० कलाम ने 26 अप्रैल 2006 को अपने उद्‌बोधन में कहा कि मैंने बिहार में 500 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना के सृजन का सुझाव दिया था। उनके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने वाले समुह में कम-से-कम एक-एक खाद्य/फल प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना की जानी चाहिए । उन्होंने कहा कि इस कार्य का जिम्मा बैंक और विश्वविद्यालयों के सहयोग से तथा उन क्षेत्रों के युवा उद्यमियों की भागीदारी लेकर चैम्बर सभी तरह के सम्पर्क और बाजार प्रदान कर सकता है।

डॉ० कलाम को बिहार से विशेष लगाव था और इसी कारण वह बिहार को उन्नत होते देखना चाहते थे। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य के विभन्न क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग एवं व्यवसाय में लगे लोगों से भी बराबर परस्पर विचार-विमर्श किया और उन्हें अपना निर्देश दिया।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2006 के अपने उद्‌वोधन में डॉ० कलाम ने पूर्व में जो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम था उसे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया था। तद्‌नुरूप बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम परिवर्तन कर बिहार चैम्बर आफॅ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज किया गया।

डॉ० कलाम जी की बहुमुखी प्रतिभा, विराट व्यक्तित्व और सभी के बीच उनकी व्यापक स्वीकार्यता के चलते आज पूरा देश उनके प्रति श्रद्धावनत है। अंतिम समय तक उन्होंने देश की सेवा की। उस सच्चे महान देशभक्त को शत-शत नमन।

पूर्व अध्यक्ष श्री शशि मोहन ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि कलाम साहब एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। पोखरन में परमाणु परीक्षण इतने गुप्त रूप से किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वे काफी धार्मिक व्यक्ति थे। गीता और कुरान दोनों का उन्हें काफी ज्ञान था।

इसके अतिरिक्त श्री सुबोध जैन, श्री ए० एम० अंसारी एवं श्री टी० बी० एस० जैन ने भी स्व० कलाम साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला।

चैम्बर के सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन रख कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

शोक सभा में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री नन्हे कुमार, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री कमल नोपानी तथा काफी संख्या में सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय सदस्यगण,

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 25 जुलाई, 2015 को कई नई परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के अतिरिक्त जगदीशपुर–हल्दिया प्राकृतिक गैस पाईपलाईन के प्रथम चरण के निर्माण कार्य का उद्घाटन कर जो तोहफा दिया है, इसके लिए हम समस्त बिहार के व्यवसायियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जगदीशपुर–हल्दिया प्राकृतिक गैस पाईपलाईन के निर्माण से बिहार में औद्योगीकरण को निश्चित रूप से नई गति मिलेगी। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र शुरू कर निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने की कृपा करें।

मैं आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी व्यापारियों के हित में लिये गये निर्णयों के लिये धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चैम्बर के सुझावों पर त्वरित निर्णय लिया और व्यापार जगत को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की :–

1. राज्य में कानून के अन्तर्गत विपत्र D-VIII की सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया।
2. पी०एस०सी० एवं पी०सी०सी० बिजली के खंभों पर लगने वाले वैट दर को 13.5 से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई।

इसके अतिरिक्त राज्य के अन्दर पंजीयन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख कर दिये जाने की भी सम्भावना है ।

चैम्बर के सुझाव पर जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिये पटना में कूड़े का उठाव रात में ही करने के प्रभारी नगर आयुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर पटनावासियों के हित में एक अच्छा काम किया है। इसके लिये उन्हें भी मैं आप सबकी ओर से साधुवाद देता हूँ।

चैम्बर में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ पटना के मास्टर प्लान 2031 पर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ काफी उपयोगी चर्चा हुई और नये मास्टर प्लान एवं बिल्डिंग बाईलॉज से सम्बन्धित कई शंकाओं का निराकरण भी हुआ।

आपका
ओ. पी. साह
अध्यक्ष

चैम्बर के साथ हुई बैठक में बोले एसएसपी

व्यापारियों को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 8 जुलाई, 2015 को पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, श्री विकास वैभव के साथ एक संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर श्री चन्दन कुशवाहा, सिटी एसपी (मध्य), श्री राजीव मिश्रा, सिटी एसपी (पश्चिम), श्री सुधीर कुमार पोरिका, सिटी एसपी (पूर्वी), श्री पी० के० दास, एसपी ट्रैफिक एवं श्री विजय कुमार, डीएसपी, ट्रैफिक (द्वितीय) भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने स्वागत सम्बोधन में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री विकास वैभव को चैम्बर के आमंत्रण पर चैम्बर में पधारने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री वैभव इसके पूर्व भारत सरकार के सर्वोच्च जाँच एजेन्सी (NIA) में अपना योगदान देकर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दे चुके हैं और गाँधी मैदान एवं बोध गया में हुई आतंकी हमलों का सफलतापूर्वक उद्भेदन भी किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के उद्यमी एवं व्यापारी अपने व्यवसाय के माध्यम से राज्य के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं परन्तु राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में पुलिस प्रशासन की सक्रियता अत्यावश्यक है।

श्री साह ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पुलिस प्रशासन एवं पटना के यातायात से संबंधित निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर एसएसपी का ध्यान आकृष्ट किया :– 1. अद्यतन तकनीक से पुलिस बल का आधुनिकीकरण 2. बड़े पुलिस थाना के अन्तर्गत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना 3. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु क्योस्क सिस्टम का प्रारम्भ 4. दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग 5. अपराध संवेदनशील स्थानों पर सघन पुलिस पेट्रोलिंग 6. व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि 7. नियमित बैठक की व्यवस्था 8. ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के सुझाव :–

- छोटे डिलिवरी भान को वर्जित अवधि में प्रवेश की अनुमति।
- पटना सिटी के लिए खासकर पटना सिटी पश्चिम दरवाजा से दीदारगंज तक पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति।
- पटना के अधिकांश व्यवसायिक स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में One Way Traffic की व्यवस्था।

इसके साथ ही श्री साह ने पुलिस प्रशासन से संबंधित समस्या एवं सुझाव के सम्बन्ध में पटना के विभिन्न व्यवसायिक संगठनों एवं व्यवसायियों से प्राप्त पत्र की प्रति एसएसपी के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया।

सदस्यों को संबोधित करते श्री विकास वैभव, वरीय पुलिस अधीक्षक। उनकी बाँयीं ओर श्री राजीव मिश्रा, सिटी एसपी (पश्चिम) एवं दाँयीं ओर क्रमशः श्री ओ. पी. साह, अध्यक्ष, श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष।

इस अवसर पर श्री के० के० अग्रवाल ने सुझाव दिया कि न्यू मार्केट में एलिवेटेड रोड फ्लाई ओभर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था हो तथा चैम्बर के सामने नारकीय स्थिति से निजात दिलाने का भी अनुरोध किया।

पाटलीपुत्र सर्राफा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने गाँधी मैदान से हथुआ मार्केट तक CCTV लगवाने का अनुरोध किया।

श्री यशपाल अग्रवाल ने एक्जीविशन रोड में फ्लाई ओभर के नीचे पार्किंग की व्यवस्था का अनुरोध किया ।

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने कहा कि एसएसपी की क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है। इनके द्वारा Face Book शुरू किया गया है जिसका एसएसपी खुद Monitoring कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं की सुरक्षा हेतु भी ये काफी चिन्ता करते हैं।

श्रीमती सुषमा साहु ने कहा कि बाकरगंज में 10 बजे रात्री के बाद 10 चक्के वाली भारी वाहन गुजरती है। उस पर रोक लगाने का अनुरोध किया। साथ ही कदम कुआँ थाने को अन्यत्र स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया।

चैम्बर के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री गोविन्द कानोडिया ने पटना सिटी में हो रही डकैती से व्यापारियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त होने की ओर एसएसपी का ध्यान अकृष्ट करते हुए एसएसपी से अपने स्तर पर कार्रवाई का अनुरोध किया ।

चीनी के व्यवसायी श्री सुनील भालोटिया ने फतुहा क्षेत्र में ट्रकों को गायब करने की घटनाओं पर ध्यान दिलाते हुए एसएसपी से समुचित कार्रवाई का अनुरोध किया।

श्री उत्पल सेन ने ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए ट्रैफिक वन वे किये जाने का सुझाव दिया।

चैम्बर के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने गाँधी मैदान थाना के पास टैम्पो रोककर सवारी बिठाने के चलते रोड जाम की समस्या होने पर ध्यान आकृष्ट किया। इसके अतिरिक्त हथुआ मार्केट के सामने का रोड अतिक्रमण के चलते 20 फीट से 10 फीट हो जाने की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया।

श्री राजेश जैन ने न्यू मार्केट में एलिवेटेड रोड की नीचे अवैध वेंडरों द्वारा गैरकानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लेने का मुद्दा उठाया एवं कबाड़ी मार्केट में टेम्पो स्टैंड स्थापित करने का सुझाव दिया।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय ने कहा कि एसएसपी साहब के पद भार ग्रहण से व्यवसायियों के मन में सुरक्षा का पूरा भरोसा है। ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु ट्रैफिक एसपी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने एसएसपी से अनुरोध किया कि जो सहुलियत व्यवसायियों को आपसे मिलने में होती है वही सहुलियत पुलिस थानों में भी मिले।

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री विकास वैभव ने कहा कि 2005 में दानापुर में उनकी पोस्टिंग थी। उस समय काफी कुछ सुनने को मिलता था। आज आपकी बातें सुनने पर बहुत कुछ बदला सा है। **उन्होंने कहा कि अक्सर अपराधियों के टारगेट पर व्यवसायी वर्ग होते हैं। इसलिए व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान कराना मेरी प्राथमिकता है।** राज्य का व्यापारिक माहौल बढ़ेगा तभी विकास भी सम्भव होगा। उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायी अपने थानेदार का मोबाईल नम्बर हमेशा सेव करके रखें। किसी भी तरह की घटना की सूचना तत्काल उनके मोबाईल पर दें। अगर थाना पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फौरन हमारे नम्बर पर कॉल करें। व्यस्तता के कारण अगर नहीं उठा पाये तो एक एसएमएस जरूर करें ताकि आपकी समस्या पर अविलम्ब कार्रवाई की जा सके। फेस बुक पर खबर करें। पुलिस विभाग की मनोदशा हमें ही बदलनी है ।

एसएसपी ने बताया कि थाना प्रभारी को अभियुक्तों के साथ मिलकर जमीन हथियाने के चक्कर में उन्हें निलम्बित किया है। प्रत्येक थाने के दो सब इंसपेक्टर मेडिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि प्राथमिक उपचार हो सके। थानों की गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स रहे, इसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। पटना सिटी की समस्या मेरे संज्ञान में है। उस पर हम काम कर रहे हैं।

ट्रैफिक एसपी श्री पी० के० दास ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक रखना पुलिस की जिम्मेवारी तो है ही बल्कि आम नागरिकों को भी इसमें भागदारी निभानी चाहिए। ट्रैफिक बल की कमी के चलते हर जगह पुलिस नहीं होती। अगर उन्हें जाम मिलता है और पुलिस नहीं दिखती है तो वे कृपया कंट्रोल रूम के नम्बर 0612-2320115 पर सूचना दें। सूचना मिलते ही जाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई ऑटो वाला अथवा कोई वाहन सड़क पर गलत ढंग से चला रहा है या नो पार्किंग में वाहन खड़ी कर दूसरों के रास्ते का अवरोधक बन रहा है तो अपने मोबाईल से उसकी तस्वीर खींच कर व्हाटस्एप हेल्प लाइन नम्बर 9234600501 पर भेजें। तस्वीर को साक्ष्य मानकर उसका चलान काट दिया जायेगा लेकिन तस्वीर के नीचे उस स्थान का नाम अवश्य लिखें। कुछ इलाकों में हालात काफी बदतर थी, जिसे लगातार मानिटरिंग द्वारा सुधारा गया है। कुछ इलाकों की पहचान की गई है, वहाँ काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मानव क्षमता में कमी और सीमित संसाधनों का भरपूर उपयोग कर हम ट्रैफिक की समस्या के निदान में लगे हैं और बदलाव ला पाये हैं। उन्होनें कहा कि हथुआ मार्केट के सामने के अतिक्रमण को हटा देंगे परन्तु इस कार्य में वहाँ के व्यवसायी संघ का साथ चाहिए। स्टेशन राउंड एबाउट के पास के ट्रैफिक कंट्रोल या समस्या हेतु श्री राज कुमार साह डीएसपी ट्रैफिक के मोबाईल नम्बर 8986912812 एवं 9431820413 पर सम्पर्क करने को कहा। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि ट्रॉली बनकर आनेवाली है। 15-20 दिन के बाद उसे उचित स्थानों पर लगाया जायेगा उससे भी काफी समस्या दूर हो जायगी।

सिटी एसपी मध्य श्री चन्दन कुशवाहा ने कहा कि कुछ घटनाओं को छोड़ बाकी सभी का उद्भेदन कर लिया गया है। हर महीने 250-300 FIR होती थी। वाहन चोरों की गिरफ्तारी के बाद मात्र 11 FIR दर्ज हुए हैं। काफी कुछ अंकुश लगा है। रात्री गस्ती भी बढ़ाई गयी है। महिलाएँ, बच्चियाँ रात्री में निकलती हैं और सुरक्षित महसूस करती है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आपको लगता है कि कहीं आपराधिक घटना होने वाली है तो हमें तुरन्त सूचित करें।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री एम० एन० बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल सहित चैम्बर सदस्य एवं प्रेस बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

महामंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

विधि विभाग की मंजूरी के बाद पास होंगे नक्शे

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नगर विकास के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने दी जानकारी

कार्यक्रम को संबोधित करते श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग। उनकी बाँयीं ओर श्री शीर्षत कपिल अशोक, प्रभारी नगर आयुक्त। दाँयीं ओर श्री ओ. पी. साह, अध्यक्ष।

बिहार भवन उपविधि 2014 के आलोक में नक्शा पास हो, इस आशय का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग ने विधि विभाग को भेजा है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद नक्शा पास होने लगेगा। ये बाते दिनांक 11 जुलाई 2015 की शाम नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहीं। मौका था बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पटना मास्टर प्लान 2031 व बिहार बिल्डिंग बायलॉज को लेकर आयोजित परिचर्चा का। उन्होंने बताया कि जल्द नक्शा पास हो, इसके लिए सरकार की तरफ से भी दबाव है। पटना, दानापुर, खगौल व फुलवारीशरीफ में पटना मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी नक्शा पास करेगा।

लैंडयूज में नहीं की गई छेड़छाड़ : प्रधान सचिव ने कहा कि प्रचलित लैंडयूज में छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर चैम्बर के पास कोई विशेष सूचना है तो वह साझा करे, विभाग उसमें सुधार को तैयार है। भरोसा दिलाया कि मास्टर प्लान

2031 जल्द लागू होगा। पटना नगर निगम के अंतर्गत वास्तुविद का निबंधन हो चुका है। केन्द्रीय स्तर पर ठेकेदार व वास्तुविद का ऑनलाइन निबंधन हुआ है। जिसकी सूची 15 दिनों में सार्वजनिक कर दी जाएगी। उसके बाद संबंधित ठेकेदार व वास्तुविद पूरे प्रदेश में काम कर सकेंगे। प्रधान सचिव ने स्वीकार किया कि बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ उचित नहीं है। सरकार कानून के दायरे में समस्याओं का समाधान करने को इच्छुक है।

छपरा, सहरसा, राजगीर व बोधगया का भी बनेगा मास्टर प्लान : प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि नगर निगम वाले सूबे के 11 शहरों के अतिरिक्त छपरा, सहरसा, राजगीर व बोधगया का भी मास्टर प्लान बनेगा। उनके विकास को प्राधिकार का गठन किया जाएगा।

कचरा से खाद बनाने का है प्लान : प्रधान सचिव ने कहा कि कचरा से ऊर्जा व खाद बनाने की योजना है। बिहार सरकार कचरे से उत्पादित खाद का बड़ा हिस्सा कृषि विभाग के माध्यम से खरीदेगा। 23 लैंडफिल एरिया चिन्हित किए गए हैं। पाटलिपुत्र टर्मिनल के लिए एप्रोच पथ शीघ्र बनाया जाएगा। लैंड पुलिंग पॉलिसी, गुजरात जैसे शहरों के टाउन प्लानिंग का अध्ययन किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी के लिए तीन शहरों का प्रस्ताव भेजा जाएगा केन्द्र को : स्मार्ट सिटी के लिए 15 जुलाई तक सूबे के 28 शहरों को विहित प्रपत्र में प्रस्ताव भेजना है। जिनमें से तीन शहरों को स्मार्ट सिटी में शमिल करने का प्रस्ताव विभाग केन्द्र सरकार को भेजेगा। इस दौरान प्रधान सचिव ने केन्द्र प्रायोजित अन्य योजनाओं की जानकारी दी।

दो माह बाद स्वतः स्वीकृत माना जाएगा नक्शा : एक प्रश्न के जवाब में प्रधान सचिव ने बताया कि अगर 20 फीट चौड़ी सड़क पर 300 वर्ग मीटर जमीन पर बिना बेसमेंट कोई व्यक्ति 10 मीटर ऊँची बिल्डिंग बनाना चाहता है तो नक्शा समर्पित करने के दो महीने बाद वह मकान बनाने का काम शुरू कर सकता है। उसका नक्शा स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। अगर सड़क की चौड़ाई कम हुई तो नक्शा पास करना जरूरी है।

सैदपुर नाले का होगा पक्कीकरण : प्रधान सचिव ने बताया कि 9 किमी सैदपुर नाला का पक्कीकरण व सुंदरीकरण किया जाएगा। बादशाही पइन पर 17 स्थानों पर पक्का अतिक्रमण किया गया है। बरसात के बाद उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। अशोक नगर जीरो प्वाइंट पर संप हाउस के लिए विभाग ने 7.5 करोड की स्वीकृति दे दी है। जल्द बीआरजेपी इसके लिए निविदा निकालेगा। प्रधान सचिव ने चैम्बर सदस्यों को रीवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेट्रो रेल आदि भावी योजनाओं की भी जानकारी दी।

वेबसाइट पर होगी जानकारी : नगर निगम से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हुए प्रभारी नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि 7 दिनों में कूड़ा प्वाइंट की सूची, वहाँ कूड़ा फेंकने व उठाने का समय वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। वार्डवार अगर वरिष्ठ नागरिक स्वेच्छा से सफाई मामले पर निगरानी को आगे आते हैं तो उनका स्वागत है। नाला उड़ाही की निगरानी के लिए बनी कमेटी को यह भी जिम्मेदारी दी जाएगी। सेकेंड्री कूड़ा प्वाइंट पर सीसीटीवी लगाने की योजना है।

24 घंटे में कंकड़बाग, राजेंद्र नगर से निकलेगा पानी : डेढ़ महीने में राजधानी में मशीनों से सफाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए 16 करोड़ के उपकरण खरीदे जा रहे है। 8 उपकरणों की खरीद पर निर्णय होना है। नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि इस बार कंकड़बाग, राजेन्द्र नगर जैसे इलाकों से 24 घंटे में बरसात का पानी निकल जाएगा। आवारा मवेशियों की धड़-पकड़ की कार्रवाई तेज की जाएगी। खुले में मांस-मछली की बिक्री पर अंकुश लगाया जाएगा। मांस-मछली विक्रेता नगर निगम में निबंधन करा रहे है। भरोसा दिलाया कि रात में ही राजधानी की प्रमुख सड़कों से कूडे का उठाव कर लिया जाएगा। इससे पूर्व चैम्बर अध्यक्ष ओ. पी. साह ने प्रधान सचिव का स्वागत किया। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एनके ठाकुर ने नक्शा पास नहीं होने के कारण बिल्डरों को हो रही परेशनियों का जिक्र किया। सचिन चंद्रा, सीआइआइ के पूर्व अध्यक्ष विजय कोचर, बीआइए के पूर्व अध्यक्ष के. पी. एस. केशरी, सुषमा साहू ने भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मौके पर चैम्बर के शहरी विकास उप-समिति के चेयरमैन नन्हें कुमार ने चैम्बर की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन को प्रस्तुत किया। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष युगेश्वर पाण्डेय, कोषाध्यक्ष डॉ. रमेश गाँधी, उपाध्यक्ष एस. के. पटवारी, एम. एन. बरेरिया, संजय भरतिया के अतिरिक्त पटना नगर निगम व नगर विकास विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.7.2015)**

मास्टर प्लान में नहीं दर्शाये गए कई इलाके

पटना मास्टर प्लान-2031 को लेकर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में सवाद कार्यक्रम • प्लान को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग को मिली थीं 721 आपत्तियाँ

पटना मास्टर प्लान के बारे में जानकारी देते श्री हरी शंकर सिंह, एसोसिएट प्लानर। उनकी बाँयीं ओर श्री कुमार सर्वानन्द, एसोसिएट प्लानर। दाँयीं ओर श्री ओ. पी. साह, अध्यक्ष एवं श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष।

पटना मास्टर प्लान-2031 में राजधानी के कई इलाके नहीं दर्शाये गए हैं। पटना से बख्तियारपुर और पटना से बिहटा तक फोर लेने के किनारे की भूमि से जुड़ी योजनाएं भी प्लान में स्पष्ट नहीं हैं। ये बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कही। वे 21.07.2015 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित 'पटना मास्टर प्लान-2031' विषयक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्लान न तो 1981 का है और न 2031 का। प्लान में पटना के एक प्लाट को हाजीपुर के मास्टर प्लान में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहारी जी मिल्स, पटना सिटी ने मास्टर प्लान पर आपत्ति दर्ज करायी थी। इस आपत्ति में हाजीपुर का जिक्र तक नहीं है, लेकिन पटना के संबंधित एरिया को हाजीपुर के मास्टर प्लान में दर्शाया गया। कर्मवलीचक, नया दीघा पुल, नासरीगंज आदि एरिया को नहीं दर्शाया गया है। श्री साह एवं अन्य लोगों ने मास्टर प्लान को कई सुझाव दिए। नगर विकास एवं आवास विभाग के योजना अधिकारी हरिशंकर सिंह ने कहा कि प्लान को लेकर 721 आपत्तियाँ विभाग को मिली हैं। आपत्तियों और सुझावों का निपटारा कर विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इस प्लान में भी 1961-81 प्लान के तहत ग्रीन बेल्ट और औद्योगिक बेल्ट में परिवर्तन नहीं किया गया है। विकसित होने वाले पटना के 1144 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 35.5 प्रतिशत एरिया कॉमर्शियल है। उन्होंने प्लान से जुड़ी अन्य योजनाओं पर भी प्रोजेक्टर के जरिये प्रकाश डालते हुए लोगों को समझाया। संवाद में चैम्बर के उपाध्यक्ष सुभाष पटवारी, मधुकर नाथ बरेरिया, नन्हे कुमार समेत अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 22.7.2015)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार में नई परियोजनाएँ शुरु

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पटना में दिनांक 25.07.2015 को निम्न परियोजनाएँ शुरू की

दनियावाँ-बिहारशरीफ नयी रेल लाइन : 340 करोड़ लागत, रेल लाइन की लंबाई- 38.28 किलोमीटर • फायदा : इस रेल लाइन से नालंदा और पटना को एक नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो गया है। नयी लाइन अत्यंत व्यस्त किउल-पटना-दानापुर रेल लाइन के बाईपास के तौर पर भी काम करेगी।

इनक्यूबेशन सेंटर-मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स : 47.10 करोड़ खर्च होंगे, इनक्यूबेशन सेंटर द्वारा हर साल दस कंपनियों को : माइक्रो इलेक्ट्रो मेकेनिकल सिस्टम, मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिलायबिलिटी एंड टेलीमेडिसीन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शुरू की जा सकेगी।

दो नई ट्रेनों की शुरूआत : • राजगीर-बिहारशरीफ-दनियावां-फतुहा नई पैसेंजर ट्रेन, 68 किमी की दूरी तय करने में 3 घंटे लगेंगे • यात्री क्षमता के अनुरूप इस ट्रेन में 16 कोच लगाए जाएंगे। पटना-मुम्बई के बीच नई सुविधा एक्सप्रेस को

दिखाई हरी झंडी • यह देश की पहली पूरी वातानुकूलित सुविधा ट्रेन है। इसमें 4 कोच सेकेंड एसी और 11 थर्डएसी कोच लगाए गए हैं • यह ट्रेन 1713 किमी की दूरी 27-28 घंटे में पूरा करेंगी।

आई आई टी पटना परिसर का उद्घाटन : देश के आठ नए आई आई टी में पटना आई आई टी पहला है जो अपने स्थायी कैंपस में स्थानांतरित हो गया है।

जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन : • 2000 किमी लबी होगी जगदीशपुर -हल्दिया पाइप लाइन, 11,000 करोड़ निवेश होगा • बिहार में इस प्रोजेक्ट पर 2400 करोड़ का निवेश होगा, इस पाइप लाईन के माध्यम से विद्युत, उर्वरक, स्टील व अन्य उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। पाइपलाइन से घरेलू गैस आपूर्ति होगी।

दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना : • कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति • 76 हजार करोड़ की परियोजना में केंद्र सरकार 63 हजार करोड़ का अनुदान देगी • 14,680 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत जिसमें बिहार को 5827 करोड़ की परियोजनाएं आवंटित। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.7.2015)**

शहर में बनेंगे 5 यूरिनल और एक स्नानागार

पटना नगर निगम मेयर अफजल इमाम ने बताया कि शहर के महत्वपूर्ण स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, गाँधी मैदान, मौर्या लोक में यूरिनल व गाँधी घाट पर स्नानागार बनाया जाएगा। मेयर की अध्यक्षता में हुई स्थायी समिति की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति ने चैम्बर भवन के सामने के कूड़ा प्वाइंट को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देने का निर्णय लिया है। चैम्बर द्वारा इस स्थल का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा समिति ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व आठ सफाई उपकरणों की खरीद के लिए पुन: टेंडर कराने का निर्देश दिया। शहर के टूटे कैचपिट और मैनहोल की मरम्मत, निगम के ही अभियंताओं से कराने को कहा गया। निगमकर्मियों को आजीवन पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव पर भी स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी। नगर आयुक्त शिर्षत कपिल अशोक ने बताया कि इसके कुछ बिंदुओं पर सरकार से मार्गदर्शन की भी मांग की जाएगी।

कचरा प्वाइंट पर होगी बागवानी: चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने बताया कि चैम्बर के सामने सालों भर पानी जमा रहता था। वहाँ कचरा प्वाइंट पर कचरा बिखरा रहता था और सुअरों का जमावड़ा था। चैम्बर अब यहाँ चबूतरा बनाकर उसमें फूल-पौधा लगवाएगा। इससे आसपास के कार्यालयों व गुजरनेवाले लोगों को बदबू और गंदगी से मुक्ति मिलेगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.7.2015)**

पंजीकृत बिल्डर ही बना सकेंगे अपार्टमेंट

नगर निगम की ओर से वास्तुविदों के पंजीकरण के बाद अब शहर के बिल्डरों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम बिल्डरों से 17 जुलाई से आवेदन लेगा। प्रभारी नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक बताते हैं कि नगर निगम में बिल्डरों का पंजीकरण किया जाना है। पंजीकृत बिल्डर ही शहर में व्यावसायिक भवन व अपार्टमेंट बना सकेंगे। बिल्डरों को निगम में पंजीकरण के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इसके बाद आवेदन स्वीकार होने की स्थिति में बिल्डरों को पंजीकरण के लिए 5000 रुपए देने होंगे। प्रभारी नगर आयुक्त बताते हैं कि नगर निगम में ऐसे ही बिल्डरों का पंजीकरण किया जाएगा, जिन्हें शहर के नए व पुराने मास्टर प्लान के साथ नए बिल्डिंग बाइलॉज की जानकारी हो।

गलत निर्माण पर कार्रवाई : प्रभारी नगर आयुक्त बताते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों में बिल्डर भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, लेकिन निगम के पास इनका डाटा नहीं होने से निगम इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। अब निगम के पास शहर के सभी बिल्डरों का डाटा होने से अवैध निर्माण करने पर निगम को कार्रवाई करने में आसानी होगी। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर बिल्डरों का पंजीकरण रद्द होगा और इन पर कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।

पुराने लैंड यूज के अनुसार ही पास होगा नक्शा : पटना नगर निगम शहर में पुराने लैंड यूज के अनुसार ही नक्शा पास करेगा। नगर निगम से नक्शा पास करने के लिए नए मास्टर प्लान के पास होने का पेंच नहीं फंसेगा। प्रभारी नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक बताते हैं कि नगर विकास व आवास विभाग की मानें तो पटना मास्टर प्लान, 2031 में शहर के इलाकों में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सभी जगहों पर नए मास्टर प्लान के तहत न्यूनतम 20 फीट की सड़क होना अनिवार्य होगा। इससे अब नक्शा पास करने में कोई परेशानी नहीं है।

तय होगी सड़कों की चौड़ाई, लगेगा सूचना पट : प्रभारी नगर आयुक्त बताते हैं कि नगर निगम के क्षेत्र में सभी सड़कों की चौड़ाई मापी जाएगी। इसके लिए अपने स्तर से सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। प्रभारी नगर आयुक्त बताते हैं कि सड़को की चौड़ाई मापने के बाद निगम को सभी क्षेत्र के सड़कों की चौड़ाई और उपयोगिता का पूरा डाटा तैयार हो जाएगा। सभी सड़कों की चौड़ाई मापने के बाद सड़कों के मुहाने पर सूचना पट लगाया जाएगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 16.7.2015)

दो लाख तक नहीं लगेगा शुल्क

परिवहन कर पर छूट : • राज्य सकार के फैसले का चैम्बर ने किया स्वागत • 'सुविधा' को निरस्त करने से चार सप्ताह पूर्व उद्यमी को देनी होगी सूचना।

वैट कानून के तहत राज्य के अंदर माल के परिवहन की सीमा 75000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने के राज्य सरकार के फैसले का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने स्वागत किया है। चैम्बर अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल से व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही 'सुविधा' को निरस्त करने के पूर्व व्यवसायियों को सूचना देने के निर्णय से उद्यमी उत्साहित हैं। वर्ष 2005 में जब वैट लागू हुआ था तो राज्य के अंदर माल के परिवहन की छूट सीमा 50 हजार थी। इसके ऊपर के परिवहन के लिए प्रपत्र आवश्यक था। दो वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री की ही पहल पर यह सीमा बढ़ाकर 75000 रुपये की गई थी। अब यह सीमा दो लाख रुपए कर दी गई है। साह ने कहा है कि दो लाख तक की लागत वाले परिवहन सामानों को अनुज्ञा पत्र फार्म डी- 8 से मुक्त करने का निर्णय सराहनीय है। 'सुविधा' के संबंध में अब अनुज्ञा पत्र निरस्त करने से चार सप्ताह पूर्व सूचना देने का प्रावधान किया गया है। व्यवसायी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ही उक्त सुविधा को निरस्त किया जा सकेगा। सरकार का यह फैसला संतोषजनक है। राज्य की सीमा पर अगर मालवाहकों की सघन जांच हो तो राज्य के अंदर परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र की जरूरत ही नहीं होगी। बिना कागजात मालवाहक का राज्य में प्रवेश बंद ही जाएगा। उद्यमी पंचायत में भी इस मुद्दे को रखा गया था। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.7.2015)**

पीएससी व पीसीसी पोल पर वैट दर घटाने का चैम्बर ने किया स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने राज्य में पीएससी और पीसीसी पोल पर वैट दरों को 13.5 से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। चैम्बर के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि पोल का दर अधिक होने के कारण निर्माताओं तथा व्यवसायियों को विद्युतीकरण योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। कारखाने बंदी के कगार पर पहुंच गये थे। अब सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 30 पीएससी और पीसीसी कारखाने लाभांवित होंगे। उन्होंने कहा कि पोलों की गुणवत्ता रहने के वाबजूद वैट दर अधिक होने के कारण राज्य के बाहर के पीएसी और पीसीसी पोल मंगाए जा रहे थे।

श्री साह के मुताबिक, चैम्बर कई सालों से हर मंच पर पीएससी और पीसीसी पोल की वैट दरों को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष करने की मांग करता आ रहा था। इसी सिलसिले में पिछले माह मुख्यमंत्री के समक्ष उद्यमी पंचायत में भी यह बात उठायी गयी थी।

मुख्यमंत्री ने तब आश्वस्त किया था कि वैट दरें पड़ोसी राज्यों के अनुरूप ही होगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत पहले हो पीएससी और पीसीसी पोल पर वैट पाँच फीसद है। अध्यक्ष ने राज्य के पीएससी और पीसीसी पोल निर्माताओं एवं व्यवसायियों से अपील की है कि राज्य सरकार के इस सकारात्मक निर्णय का लाभ उठाते हुए राज्य के राजस्व वृद्धि में सहयोग करें। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 19.7.2015)**

वार्षिक रिटर्न भरने की अन्तिम तिथि बढ़ी

वाणिज्य कर विभाग ने वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 अगस्त 2015 कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग के इस आदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दिया गया है। उक्त आदेश की प्रति चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है।

बिहार सरकार
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़ 1937 (श.) (सं. पटना 809) पटना, शुक्रवार, 10 जुलाई 2015

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचनाएं
10 जुलाई 2015

सं. बिकी-कर/ विधि-43/2011-3605-बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005(अधिनियम 27/2005) की धारा-61 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य-कर आयुक्त, अधिसूचना निर्गमन की तिथि से, धारा-61 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 41 के अधीन विहित घोषणा पत्र की अपेक्षा से छूट निम्न मूल्यों हेतु प्रदान करते हैं-

'बिहार राज्य के अंदर परिवहन की स्थिति में, अगर परिवहित मालों का मूल्य रुपये 2,00,000/- (दो लाख) रुपये या कम हो।'

2. इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से विभागीय अधिसूचना संख्या-4324 दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 विलोपित समझी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

बिहार सरकार
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आषाढ़ 1937 (श.) (सं. पटना 836) पटना, मंगलवार, 21 जुलाई 2015

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचनाएं
21 जुलाई 2015

एस.ओ. 167 दिनांक 21 जुलाई 2015-बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं. 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम, 2005 की अनुसूची-।।। के भाग-। के क्रमांक 150 के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक 151 एवं उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ तुरत के प्रभाव से जोड़ते हैं:-

"151. पी. एस. सी. / पी. सी. सी. पोल"

(सं. बिक्री-कर/ संशोधन-13 / 2013-3905
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

सर्विस टैक्स नहीं है होटलों में लिया जाने वाला सर्विस चार्ज

होटल में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसने कहा है कि सर्विस चार्ज को लेकर बहुत से उपभोक्ताओं में गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि होटल या रेस्तरां सरकार को देने के लिए ग्राहकों से इसे वसूलते हैं। लेकिन यह चार्ज 'सर्विस टैक्स' नहीं है। सर्विस चार्ज के नाम पर लिया गया पैसा होटल अपने पास ही रखते हैं। सरकार सिर्फ सर्विस टैक्स लेती है।

एयरकंडीशंड होटल या रेस्तरां में बिल की राशि पर सर्विस टेक्स लगता है। वैसे तो सर्विस टैक्स की दर 14 फीसदी है, लेकिन खाने-पीने की चीजों के मामले में 60 फीसदी अबेटमेंट का प्रावधान है। यानी बिल की 40 फीसदी राशि पर ही टैक्स लगता है। इस तरह प्रभावी टैक्स पूरे बिल का 5.6 फीसदी बनता है। पहले सर्विस टैक्स 12.36 फीसदी था। जून से यह 14 फीसदी हो गया है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 15.7.2015)**

बिहार की जरूरतों पर जल्द फैसला करे केंद्र: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15.7.2015 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। वैसे तो बैठक का एजेंडा भूमि अधिग्रहण बिल 2015 के दूसरे संशोधन के तहत अधिग्रहित जमीन का सही मुआवजा, पारदर्शिता, पुनर्वास और रिसेटलमेंट था, पर सीएम ने इससे अलग हटकर बिहार को हो रहे आर्थिक नुकसान के मसले को भी प्रमुखता से उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से बिहार को हो रहे नुकसान के बारे में वह प्रधानमंत्री को विस्तृत ज्ञापन दे चुके हैं। वित्त मंत्री के सामने भी इस मसले को रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार की जरूरतों के संबंध में केन्द्र सरकार को जो ज्ञापन दिया गया है, उस पर केन्द्र फैसला ले।

मुख्यमंत्री नें कहा कि बिहार पुनर्गठन एक्ट 2000 के तहत वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि बिहार को जो अंतिरिक्त सहायता मिलती है, वह जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिहार को विशेष सहायता देने की बात भी कही गई थी। इसके तहत अप्रैल 2015 में बिहार के मुख्य सचिव ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बिहार से संबंधित मांगों के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव भी दिया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वित्त मंत्रालय को यह लिखा भी है कि बी. आर. जी. एफ के तहत बिहार को जो अतिरिक्त सहायता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में मिलनी है, उसे पूरा किया जाए।

कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात यथार्थ में भी दिखे : मुख्यमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरिलज्म की बात सिद्धांत में हो रही है, पर यह जरूरी है कि इसे यथार्थ में परिवर्तित किया जाए। केन्द्र सरकार बिहार की मांगों से जुड़े विस्तृत प्रतिवेदन पर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नीति आयोग की उप समिति को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को संतुलित करने, कौशल विकास और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अपने विचार उपलब्ध करा दिए हैं। सीएम ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भांग भी रखी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.7.2015)

माल्या का कंपनी नौबतपुर में खोलेगी बियर फैक्टरी

20.12 करोड़ रुपये का होगा निवेश

हर वर्ष 10 लाख हेक्टोलीटर बियर का होगा उत्पादन • नौबतपुर औद्योगिक क्षेत्र के 42 एकड़ में खुलेगी फैक्टरी • सवा सौ स्थानीय लोगों को फैक्टरी में मिलेगा काम

उद्योगपति विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड पटना के नौबतपुर में बियर फैक्टरी खोलेगी। नौबतपुर के कोपाकला इलाके में बियर फैक्टरी खोलने के लिए यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड को उद्योग विभाग ने हरी झंडी दे दी है। नौबतपुर में यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड 42 एकड़ में बियर फैक्टरी लगायेगी। कंपनी ने लीज पर 42 एकड़ जमीन ले ली है। बियर फैक्टरी खोलने के लिए उद्योग विभाग ने कंपनी को सटांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में छूट दी है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.7.2015)**

पटना में आइसक्रीम, मोतिहारी में लगेगा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट

पटना, नालंदा, गया, सिवान, सारण और वैशाली में पोल्ट्री फार्म प्रोजेक्ट भी • पशु चिकित्सकों के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा

पटना में आइसक्रीम प्लांट की स्थापना होगी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चम्पारण और सुपौल में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। पटना, नालंदा, गया, सिवान, सारण और वैशाली में पोल्टी फार्म प्रोजेक्ट के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण हो चुका है, जहाँ चार से पाँच माह में अंडे का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अंडों की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु चिलिंग प्लांट (शीतकरण यंत्र) जल्द स्थापित किए जाएंगे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 14.7.2015)

जमीन वापस लेने के लिए नई योजना

बिहार सरकार अपनी सालों से बेकार पड़ी खाली जमीन उद्यमियों से वापस लेने के लिए नए सिरे से योजना बना रही है। राज्य सरकार के मुताबिक ये जमीन नए निवेशकों को दी जाएगी।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'हमारे पास जमीन की काफी किल्लत है। दरअसल, हमारे राज्य में जनसंख्या का घनत्व दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है, इसीलिए राज्य में नए सिरे से भूमि अधिग्रहण करना मुमकिन नहीं होगा। इस परिस्थिति में हमें नए रास्ते तलाशने होंगे, इसीलिए हम अपने औद्योगिक क्षेत्रों में बेकार पड़ी जमीन को वापस लेने की सोच रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उद्यमी स्वेच्छा से बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकार (बियाडा) से मिली जमीन हमें वापस कर दें। इसके लिए हम एक नीति बनाने के बारे में सोच रहे हैं।' हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब राज्य सरकार इस बाबत कोई नीति लेकर जाएगी। इससे पहले 2013 में राज्य सरकार ने एक निकास नीति

बनाई थी, लेकिन पुराने उद्यमियों की बेरुखी से वह नीति कामयाब नहीं हो सकी।

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारि शरण ने कुछ दिनों पहले बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हमने काफी अच्छी औद्योगिक नीति बनाई है। इसकी वजह से राज्य में लाखों करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। हालांकि, जमीन की कमी से यह प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में उन उद्यमियों को अपनी जमीन देने के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने दशकों पहले बियाडा से जमीन हासिल करने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इससे राज्य को तेज औद्योगीकरण में मदद मिलेगी। हम इस बारे में काफी गंभीरता से सोच रहे हैं। साथ ही ऐसे कारोबारियों से भी जमीन समर्पण की अपील कर रहे हैं। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.7.2015)**

सरकार के तीन फैसले/ बिहार हेल्थकेयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तैयार

हेल्थ सेक्टर को भी अब उद्योग का दर्जा मिलेगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बिहार हेल्थकेयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी तैयार कर ली है। इससे स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिल जाएगा। किस श्रेणी के अस्पताल को न्यूनतम कितनी जमीन चाहिए और आधारभूत सरंचना में निवेश से बैंक के लोन पर कितनी ब्याज सब्सिडी मिलेगी, यह तय हो गया है। टर्म लोन पर इन परियोजनाओं को सात साल के लिए ब्याज सब्सिडी मिलेगी और स्पेशिएलिटी अस्पताल को अधिकतम 20 करोड़ के निवेश पर 35 फीसदी, मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल को अधिकतम 35 करोड़ के निवेश पर 35, सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल को अधिकतम 50 करोड़ रुपये के निवेश पर 35 तथा सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर अधिकतम 75 करोड़ के निवेश पर 35 फीसदी की पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। **(दैनिक भास्कर, 8.7.2015)**

उद्योग से पहले ग्रीन जोन का एग्रीमेंट

सूबे में 33 उद्योगों को सीरियस पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज का दिया गया है दर्जा • उद्योगों को देना होगा हरित पट्टी को बढ़ावा

जहाँ उद्योग होंगे, वहाँ प्रदूषण का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में जरूरी है कि उद्योग के साथ एक निश्चित मात्रा में हरित पट्टी भी लगाई जाए जो वातावरण का संतुलन बनाए रखे। हालांकि अधिकतर उद्योग इसका पालन नहीं करते। कुछ महीने पूर्व भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने कहा था कि बिहार सरकार ने अब तक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान तक नहीं कराई है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान कर ली गयी है। मंत्री श्याम रजक का कहना है कि सूबे में कोई भी उद्योग लगाने से पहले बाकायदा राज्य सरकार की नीतियों से जुड़े एग्रीमेंट मानना पड़ता है, जिसमें ग्रोन जोन भी शामिल है।

'सीरियस पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज की संख्या 33' : पर्यावरण एवं वन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर बिहार के अलग-अलग जिलों में चलने वाले 33 उद्योगों को' सीरियस पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज' में शमिल किया है। परिषद ने जिन उद्योगों को अत्याधिक प्रदूषण फैलाने वाली सूची में शमिल किया है उनमें शुगर इंडस्ट्रीज, डिस्टलरी एंड बेवरेज, चमड़ा कारोबार, पेपर इंडस्ट्रीज, मीट प्रोसोसिंग इंडस्टीज, यार्न और टेक्सटाइल इंटस्टीज, थर्मल पावर प्लांट, फार्मास्युटिकल्स और पेस्ट कंट्रोल जैसे उद्योग है। इसके अलावा गंगा के किनारे-किनारे हजारों की संख्या में चलने वाले ईट भट्ठों से भी बहुत प्रदूषण फैल रहा है। जिन जिलों में ऐसे उद्योग चलाए जा रहे हैं उनमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भागलपुर बेगूसराय औरंगाबाद, भोजपुर कैमूर आदि है। **(साभार : दैनिक जागरण, 15.7.2015)**

14वें वित्त आयोग में सर्वाधिक राशि पटना नगर निगम को

• 128 करोड़ पहली किस्त के रूप में नजर निकायों को जारी • 11 नगर निगमों को 54 करोड़ 37 लाख 66 हजार 500 रुपये स्वीकृत

राज्य के सभी नगर निकायों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार की और से 14 वे वित्त आयोग की राशि जारी कर दी गयी है। केन्द्र सरकार ने आबादी व क्षेत्रफल के आधार पर निगर निकायों के बुनिवादी विकास के लिए राशि अनुदान के रूप में देती है। बिहार के नगर निकायों को पहली किस्त के रूप में 128 करोड़ जारी कर दिये गये है। इस पैसे से जल निकासी, सफाई, पार्क, खेल के मैदान आदि का विकास किया जाना है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निकायों को उनकी आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार राशि भेजी।

नगर निगम और आवंटित की गयी राशि : • पटना नगर निगम : ₹ 18.98 करोड़ • बिहारशरीफ नगर निगम : ₹ 3.4 करोड़ • आरा नगर निगम : ₹ 31456843 • गया नगर निगम : ₹ 55156811 • भागलपुर नगर निगम : ₹ 45553944 • मुजफ्फरपुर नगर निगम : ₹ 40223661 • दरभंगा नगर निगम : ₹ 33212321 • कटिहार नगर निगम : ₹ 26905562 • बेगूसराय नगर निगम : ₹ 27312245 • मुंगेर नगर निगम : ₹ 24573736 • पूर्णिया नगर निगम : ₹ 35390760 **(साभार : प्रभात खबर, 15.7.2015)**

बांका-नवादा में खुलेंगे तसर प्रशिक्षण केन्द्र

बिहार के बेहतर तसर उत्पादन की देश में बेहतर मार्केटिंग होगी। तसर उत्पादन के मामले में अव्वल माने जाने वाले दो जिलों क्रमश: बांका और नवादा में सात सामान्य सुलभ केन्द्र खुलेंगे। उद्योग विभाग ने दोनों जिलों में सात सामान्य सुलभ केन्द्र खोलने की स्वीकृति दे दी है। सात सामान्य सुलभ केन्द्र खोलने पर 1.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे, सातों केन्द्रों पर बुनकरों को तसर पौधा-रोपण, कीट-पालन और तसर सूत उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। सातों सामान्य सुलभ केन्द्रों को तसर उत्पादन मशीनों से भी लैस किया जायेगा। सातों सामान्य सुलभ केन्द्र दोनों जिलों में मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के तहत खोले जायेंगे। मई में उद्योग विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने तसर उत्पादन में वृद्धि न होने पर चिंता जतायी थी। तसर सिल्क व अन्य उत्पादों की क्वालिटी सुधारने का हस्तकरघा रेशम उद्योग के अधिकारियों को सुझाव दिया था। **(साभार : प्रभात खबर, 15.7.2015)**

7700 करोड़ की योजना मंजूर

केन्द्र ने सूबे में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए 7,700 करोड़ की योजना मंजूर की है। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि के लिए डेडिकेटेड फीडर के साथ-साथ 139 शहरों में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने की योजना शामिल है। केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय की बैठक में बिहार की योजना पर मुहर लगी है।

बनेंगे 288 पावर सब स्टेशन : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 5827.23 करोड़ की लागत से 288 पावर सब स्टेशनों का निर्माण होगा। साउथ बिहार में बनने वाले 117 पावर सब स्टेशनों से 11 केवी का 1033 फीडर निकलेगा। इसी तरह नॉर्थ बिहार में 171 पावर सब स्टेशन से 11केवी का 1511 फीडर निकालने की योजना है।

लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर : खेतों तक जाने वाली 11 केवी कृषि डेडिकेटेड फीडर से 70651 डिस्ट्रब्यूशन टांसफार्मरों को बिजली सप्लाई होगी। साउथ बिहार के खेतों में 28300 एवं नॉर्थ बिहार के खेतों में 42351ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बना है। 25 केवी के लगने वाली इन ट्रांसफर्मरों से केवल पंप चलेगा। आईपीडीएस केन्द्र सरकार ने 139 शहरों के विद्युत संरचना को मंजूर करने के लिए 1865.45 करोड़ की मंजूरी दी है।

"केन्द्र ने 7,700 करोड़ की मंजूरी दी है। इस राशि से बिहार में उर्जा सुधार का काम होगा। इसमें राज्य को 40% राशि अपनी तरफ से खर्च करनी है। केन्द्र हिस्सेदारी बढ़ाए। पहले केन्द्र से 90% राशि मिलती थी। राशि की कटौती से राज्य पर बोझ बढ़ेगा। **– बिजेन्द्र यादव,** उर्जा व वित्त मंत्री, बिहार

75 फीसदी राशि देगा केन्द्र : टेंडर होने के बाद 24 माह में विद्युत संरचना को मजबूत करना है। काम समय पर पूरा होने पर केन्द्र सरकार 75% राशि देगी। यानी राज्य सरकार को 25% राशि खर्च करनी पडेगी। यदि समय सीमा के अंदर काम पूरा नहीं होता है तो राज्य सरकार को 40% राशि खर्च करनी पड़ेगी। **(दैनिक भास्कर, 18.7.2015)**

पटना 15 शर्तें पूरी करे तभी बनेगा स्मार्ट सिटी

राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 15 मानकों पर परखा जा रहा है। केन्द्र सरकार के निर्धारित मानकों पर राजधानी का स्कोरकार्ड तैयार किया गया है। पटना नगर निगम की ओर से तैयार यह स्कोरकार्ड नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। अगर राजधानी स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित मानकों पर खरी उतरती है तो उसे लगभग पाँच सौ करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पैसे से राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।

वार्ड पार्षदों को लेनी है शपथ : स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित मापदंडों में सभी पार्षदों को संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करना है। पार्षदों के संकल्प पत्र के लिए

अंक भी निर्धारित हैं। नगर निगम अधिकारी पार्षदों से संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर के लिए प्रयासरत हैं। उप नगर आयुक्त मुमुक्षु कुमार चौधरी ने उम्मीद जताई कि इस काम में पार्षदों की खींचतान आड़े नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र को भरने का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्कोरकार्ड बनाकर इसे 14 जुलाई के पहले भेजने का निर्देश दिया गया है।

ये हैं कुछ प्रमुख मानक : • निगम में ई-म्युनिसिपैलिटी हो • तीन सालों में निगम के राजस्व का ट्रेंड क्या होगा • निगम में वेतन समय पर मिले • निगम के संबंध में गणमान्य लोगों की राय क्या है • निगम क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण की स्थिति क्या है • नुरुम योजना का क्या हाल है • जलापूर्ति योजना पर जानकारी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.7.2015)

अब 'स्किल्ड' बनेगा इंडिया

पीएम नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक 50 करोड़ स्किल्ड (कुशल) लेबर तैयार करने और युवाओं को हुनमंद बनाने के लक्ष्य के साथ स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च कर दिया। वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर पीएम मोदी ने स्किल इंडिया मिशन का लोगो और पॉलिसी डॉक्युमेंट भी जारी किया। इस अवसर पर पीएम ने स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षित कई युवाओं को रोजगार की जॉब ऑफर सौंपे। इसके अलावा कई युवाओं को स्किल कार्ड भी सौंपे।

युवाओं को रोजगार : मोदी ने कहा कि कौशल से नई ताकत मिलती है। गरीब परिवार में आत्मविश्वास लाना इस मिशन का उद्देश्य है। पिछली शताब्दी ने दुनिया में हमारे आईआईटी को मान्यता दी, लेकिन यह शताब्दी आईटीआई की है। हमारी 65 परसेंट आबादी युवा है और इसे कुशल बनाना बेहद जरूरी है। युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए ढांचा तैयार करने की ज़रूरत है।

सिर्फ 3.5% आबादी ही स्किल्ड : स्किल डेवलपमेंट एवं एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार देश की सिर्फ 3.5 परसेंट आबादी स्किल्ड है, इसलिए यह एक बड़ा कार्यक्रम है, उन्होंने कहा कि देश को 2020 तक 11.9 करोड़ स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी।

हर राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी : रूडी ने कहा कि इस मिशन के तहत केन्द्र सरकार देश के हर राज्य में एक स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की कोशिश करेगी। सरकार पीएसयू के साथ मिलकर कई पीपीपी प्रोजेक्ट्स शुरू करेगी। सिर्फ 12 हफ्ते का प्रशिक्षण लोगों को रोजगार दिला सकता है। कैबिनेट ने नेशनल स्किल मिशन के लिए एक संस्थागत ढांचे को मंजूरी दी थी। इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 5,040 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। **(विस्तृत : आई नेक्स्ट, 16.7.2015)**

139 GIVING WRONG INFO, RUE RAILWAY PASSENGERS

If you are dialling 139 on the integrated railway inquiry and rely on its information, you may miss your destination. It feeds wrong information and gives incomplete reply in some cases. It has also been declared 'a premium call' and the person calling this number is charged Rs. 2 per minute. **(Details - T. O. I., 16.7.2015)**

बड़े अस्पतालों को विस्तार के लिए सब्सिडी

दवा और हर्बल उद्योग के लिए विशेष पैकेज: दवा एवं हर्बल उद्योग के लिए भी विशेष पैकेज मिलेगा। इस श्रेणी के फर्मों द्वारा तकनीकी सेवाओं पर किए गए खर्च की 50% राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा एक लाख है। दवा उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा व इसके लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपए तक भागीदारी शुल्क के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान 15.07.2015)**

एक सितम्बर से बिना आईडी के होगा तत्काल आरक्षण

आरक्षित टिकट व चार्ट में दर्ज नहीं रहेगा पहचान पत्र का ब्योरा • आरक्षण कराने वाले यात्रियों को पहचान पत्र की बाध्यता होगी समाप्त। **(विस्तृत : दैनिक जागरण 16.07.2015)**

बिहार में बढ़ रहे हैं लघु और मध्यम उद्योग

बिहार में सक्रिय छोटे उद्यमों (ईएम-2) का आंकड़ा 4,300 यूनिट को पार कर चुका है। फिनाइल, झाड़ू, सीएफएल बल्ब निर्माण, फूड प्रोसेसिंग सहित दर्जनों सेक्टर में उद्यमियों ने रुचि दिखाई है। बिहार के पटना, गया, नालंदा सहित कुल 17 जिलों में एमएसएमई-डीआई, पटना सक्रिय है और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। गौरतलब है कि सूक्ष्म, लघु व मंझोले उद्योगों के लिए सरकारी खरीद नीति पहली अप्रैल, 2015 से अनिवार्य हो गई है, इसके तहत एमएसई सरकारी खरीद नीति में सभी केंद्र और राज्य सरकार की कंपनियों को अपनी कुल खरीदारी का 20 फीसदी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज से खरीदना अनिवार्य है। एमएसएमई एक्सपर्ट्स की मानें तो इस नीति का लाभ लेने के लिए बिहार से 10 हजार से अधिक उद्यमी इस वर्ष सामने आ सकते हैं। एमएसएमई को अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में सबसे अधिक परेशानी होती है। इसलिए मंत्रालय ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत भी कर दी है। लगभग 50 हजार ईएम वन और 12 हजार से अधिक ईएम टू रजिस्ट्रर्ड हो चुके हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार का एमएसएमई मंत्रालय तीन सप्ताह (13-31 जुलाई) का विशेष ट्रेनिंग चेन्नई में करा रहा है।

एमएसएमई सेगमेंट में काम शुरू करने वाले उद्यम

(इंटरप्रेन्यौर मैभोरेंडम -2 के आधार पर प्राप्त आंकडे)

एमएसएमई	2008-10	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
संख्या	3134	4010	4302	4108	3737	3133
फीसदी ग्रोथ	9.77	27.95	7.28	-4.51	-9.03	-16.16

(स्रोत : सभी आंकड़े उद्योग निदेशालय और राज्य एमएसएमई-डीआई से लिए गए हैं।)

कंपनी खोलना आसान : कंपनी खोलने से पहले भरे जाने वाले ईएम वन फॉर्म के साथ 5 पेज भरने होते हैं, इसमें 18 तरह की जानकारियां मांगी जाती है और 6 अटैचमेंट लगाने होते हैं, इसी तरह उत्पादन शुरू होने के बाद भरे जाने वाले फॉर्म ईएम टू में 6 पेज भरे जाते हैं और 21 तरह की जानकारियां मांगी जाती हैं। अभी तक केवल मंझोले दर्जे के कारोबारी ही ईएम टू फॉर्म भरते थे, लेकिन अब सभी उद्यमी उद्योग आधार में केवल एक पेज का फॉर्म भर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

इंटरप्रेन्यौर मेमोरेंडम : मालूम हो कि एमएसएमई के अंदर किसी भी उद्योग को शुरू करने पर पार्ट-वन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उद्योगपति को भवन, भू-खंड और लगने वाली इकाई के बारे में जानकारी देना होता है। यूनिट शुरू हो जाने के बाद पार्ट टू रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। इसके बाद ही उद्योगपति सब्सिडी पाने का हकदार बनता है।

"सेगमेंट ग्रोथ कर रहा है। लोग आगे आंएगे तो धीरे-धीरे बाकियों को भी प्रेरणा मिलेगी। राज्य में कई तरह के उत्पादों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है।" **– प्रदीप कुमार,** निदेशक, एमएसएमई- डीआई, पटना

(साभार : दैनिक भास्कर, 13.7.2015)

सभी जिलों को देना होगा कृषि उद्योगों का प्लान

• लोन देने के लिए प्राथमिक सेक्टर में अब एमएसएमइ को भी किया गया शामिल • सभी जिलों को जुलाई महीने के अंत तक अपना-अपना पोटेंशियल लिंक प्लान (पीएलपी) तैयार करके है भेजना

पीएलपी से फायदे : • एग्रो आधारित इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है कृषि सेक्टर • संबधित जिलों में ऐसी इंडस्ट्री को स्थापित करने से आसानी से मुहैया हो पायेगा • इस तरह की व्यवस्था के साथ इंडस्ट्री खुलने से इनके बंद या ठप होने की सभावना रहेगी कम • बैंकों की पूंजी डूबने का खतरा कम होगा • जिस जिले में जो कृषि उत्पाद कच्चा माल के रूप में मौजूद नहीं, वहाँ फैक्टरी लगाने के लिए नहीं मिलेगा लोन। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 15.7.2015)**

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296